

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 1983/पौष 29, 1904

No. 24] NEW DELHI, WEDNESDAY JANUARY 19, 1983/PAUSA 29 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी 1983

का०आ० 27(अ) — भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 405(अ), तारीख 20 जुन, 1977, का०आ० 106 (अ) तारीख 16 जुलाई, 1979, का०आ० 558(अ) तारीख 21 जुलाई, 1980, का०आ० 575(अ) तारीख 20 जुलाई, 1981 और का०आ० 515(अ) तारीख 21 जुलाई, 1982, के साथ पठित भारत सरकार के अपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति पत्रावा (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 375(अ), तारीख 22 जुलाई, 1975, द्वारा जेम्स गूडरिच पिं कचरुना नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध कर सर्वप्रथम उल्लिखित आदेश में निर्दिष्ट व्यक्तियों के निवासे 21 जनवरी 1983 तक की अवधि के लिए त्रिवार्षिक गृहनिर्माण योजना सम्मिलित है प्रदान कर लिया था,

1220 GI/P2

(1)

श्रीर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त व्यक्तियों के निकाय द्वारा 21 जुलाई, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छ मास की श्रीर भवधि तक जारी रखा जाना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क के का उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, निवेष्ट वेत्ता है कि ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित उक्त भावेन 21 जुलाई, 1983 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभाव में रहेगा।

[का०सं० 6(3)/79-सं०पू०एस०]

ए० पी० सरवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1983

S.O. 27(E)—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 375 (E), dated the 22nd July, 1975, read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 405(E), dated 20th June, 1977, S.O. 406(E), dated the 16th July, 1979, S.O. 556(E), dated the 21st July, 1980, S.O. 575(E), dated the 24th July, 1981 and S.O. 515(F), dated the 21st July, 1982, the management of the industrial undertaking known as Messrs Gluconate Limited, Calcutta, had been taken over by the body of persons referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 21st January, 1983;

And whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said body of persons should continue for a further period of six months upto and inclusive of the 21st July, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 21st July, 1983—

[F. No. 6(3)/79-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.